



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491 ग्राम का नाम (परगना) : सबलगढ (नजीबाबाद) तहसील : नजीबाबाद जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1
(1) खाता संख्या : 00713

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
1215घ	1) दैड//			1215घ(1114911215200664)	17.9560	1) 1/1	1) 17.9560	0.00
							17.9560	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक सात दशमलव नौ पाँच छः शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - एक सात दशमलव नौ पाँच छः शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491 ग्राम का नाम (परगना) : सबलगढ (नजीबाबाद) तहसील : नजीबाबाद जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1
(1) खाता संख्या : 00713

(6-9 स्थान के अंक) / पता
/ जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)

1) पुनर्स्थापना : जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा दिनांक 17.07.2024 को आदेश किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-१ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20 (5)/ 2016, दिनांक 03 जून 2016 शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2012) उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित की, धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 एवं अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियो/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनियम की शक्तियां, उन देशाओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतो/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमियो के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनियमकर उपलब्ध कराने के प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए गाँव सबलगढ परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के गाटा सं0 1215घ रकबा 5.270 हे0 श्रेणी-6(4) जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, के अन्तर्गत "दैड" की भूमि को, जो अब तक, सबलगढ गाँवसभा में निहित थी, पुनर्ग्रहीत कर, फिर से अपने अधिकार में लेकर, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर, प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर, वन प्रभाग, नजीबाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कोटद्वार बाईपास के किलोमीटर 0.0000 से 0.700 तक 4-लेन निर्माण हेतु 5.27 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने में प्रभावित कुल 5.270 हेक्टेयर, वन विभाग की, लोक उपयोगिता की परियोजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के समतुल्य गाँव समा "दैड" भूमि, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु, वन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वनप्रभाग, नजीबाबाद के पक्ष में निःशुल्क पुनर्ग्रहीत कर उपलब्ध करायी जा रही है। उपरोक्त आदेश द्वारा परगना/तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की गाँवसभा सबलगढ के गाँव सबलगढ परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के गाटा सं0 1215घ रकबा 5.270 हे0 श्रेणी-6(4) जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, के अन्तर्गत "दैड" की भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कोटद्वार बाईपास के किलोमीटर 0.0000 से 0.700 तक 4-लेन निर्माण हेतु 5.270 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने में प्रभावित कुल 5.270 हेक्टेयर, वन विभाग की, लोक उपयोगिता की परियोजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के समतुल्य गाँव सभा भूमि, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के पक्ष में, भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहीत की जा रही, उपरोक्त भूमि का, उपलब्ध कराये जाने के दिनांक से, उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित, की, धारा-59 अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट प्रबन्धन और नियन्त्रण, अब वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।
(डिजिटल हस्ताक्षर : MUKESH SINGH/08-08-2024)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491

ग्राम का नाम (परगना) : सबलगढ (नजीबाबाद)

तहसील : नजीबाबाद

जनपद : बिजनौर

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00713

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

